भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 239B/2016-17

1.परमेश्वर महतो 2. रुसु महतो 3. बरुण महतो बनाम आनन्द महतो

:: आदेश::

क	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

9.10.17

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 833 दिनांक 16.12.16 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 239 B/2016-17 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता 1.परमेश्वर महतो 2. रुसु महतो 3. बरुण महतो तीनों के पिता-स्व0 बाबुलाल महतो, ग्राम-नारायणपुर, थाना-सरायकेला, जिला- सरायकेला-खरसावॉ ने परिवारिक खर्च तथा ऋण परिशोधन हेतु क्रेता आनन्द महतो, पिता-स्व0 धीवर महतो, ग्राम-विजय, थाना-सरायकेला जिला- सरायकेला-खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
विजय	197	116	623	0.52ए0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेताओं के दादा बावरी महतो एवं अन्य के नाम से हाल सर्वे खतियान एवं पंजी-II में दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते हैं। आवेदकों के हिस्से में 2.79 एकड़ जमीन है, जिसमें से 0.52 ए0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.27 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना एवं जिला के निवासी है तथा जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.52 ए0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

9/10/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।